नगरों/कस्बों के स्लम, परिवार तथा आजीविका के सर्वेक्षण तथा उनके प्रोफाइल को तैयार करने से संबंधित फार्मेट और मार्गनिर्देश

भारत सरकार

आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

भारत सरकार

आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

नगरों/कस्बों के स्लम, परिवार तथा आजीविका के सर्वेक्षण तथा उनके प्रोफाइल को तैयार करने से संबंधित फार्मेट और मार्गनिर्देश

विषय–सूची

क्र.सं.	विषय		पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना		
2.	जेएनएनयूआरएम के अनिवार्य घटक		
3.	सर्वेक्षण उद्देश्य		
4.	शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व		
5.	वित्त पोषण पद्धति तथा पात्रता मानदंड		
6.	नगरों का चयन		
7.	अनुमत्य घटक		
8.	सामान्य अनुदेश		
9.	जांचकर्ताओं/सर्वेक्षकों के लिये अनुदेश		
10.	सारिणी योजना		
11.	सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण हेतु अनुसूचियां सामान्य सूचना– नगर/कस्बा नगर/कस्बे का स्लम प्रोफाइल सर्वेक्षण कार्य के ब्यौरे : विस्तृत स्लम सर्वेक्षण विस्तृत परिवार सर्वेक्षण (सामान्य) विस्तृत आजीविका सर्वेक्षण उपयोगिता प्रमाण–पत्र का फार्म	अनुबंध अनुबंध–क अनुबंध–ख अनुबंध–ग अनुबंध–घ अनुबंध–ङ अनुबंध–च अनुबंध–छ	

स्लम, गरीबी तथा आजीविका प्रोफाइल

1. प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एनबीओ) आवास तथा भवन निर्माण कार्यकलापों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना एकत्र करने और उसको सारणीबद्ध करने एवं उसका प्रचार–प्रसार करने हेतु देश में एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करता आ रहा है। आवास, निर्माण, स्लम विकास, शहरी गरीबी उपशमन तथा तत्संबंधी कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और सांख्यिकीय कार्यों के अंतर्गत बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की स्कीमें उचित डाटाबेस, एमआईएस तथ्ज्ञा जानकारी पर आधारित होती हैं, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का पुनर्गठन मार्च, 2006 में किया गया था।

1.2 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किये गये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के परिप्रेक्ष्य में एनबीओ के पुनर्गठन का विशेष महत्व हो गया है। जेएनएनयूआरएम देश में शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा पअल प्रयास है और इसका उद्देश्य शहरी अवस्थापना एवं शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित मसलों को हल करना है। इस मिशन का कार्यान्वयन 7 वर्ष की अवधि (2005–2012) में किया जाना है। भारत सरकार ने राज्यों को 50,000 करोड़ रू. तक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने का वचन दिया है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को जेएनएनयूआरएम के घटकों अर्थात शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं के मूल्यांकन, स्वीकृति, मानीटरिंग एवं समीक्षा के बीच समन्वय हेतु नोडल एजेंसी बनाया है।

1.3 राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की पुनर्गठित भूमिका और जेएनएनयूआरएम को लागू करने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन जेएनएनयूआरएम तथा अन्य शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा शहरी गरीबी उपशमन, स्लमों, आवास, निर्माण, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर जेएनएनयूआरएम के अधीन शुरू की गई परियोजनाओं आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में सांख्यिकीय विवरण तैयार करने के लिये अपेक्षित विभिन्न प्रकार के सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों का समन्वय करेगा।

2. जेएनएनयूआरएम के अनिवार्य घटक

2.1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के दो मुख्य घटक हैं अर्थात (i) शहरी अवस्थापना और प्रशासन से संबद्ध उपमिशन एवं (ii) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं से संबद्ध उपमिशन (बीएसयूपी) जिसमें चुनिंदा 63 मेगा, मेट्रो, राजधानी तथा धरोहर एवं ऐतिहासिक महत्व के नगर शामिल हैं। देश के शेष अन्य नगर और कस्बे छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) एवं एकीकृत आवास तथा श्रम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अधीन आते हैं। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी के लिए नोडल मंत्रालय है जिनका उद्देश्य शहरी गरीबों, विशेष रूप से स्लम वासियों की आवास तथा बुनियादी सुविधाओं संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।

2.2 शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) एवं एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) का उद्देश्य शहरी गरीबों तथा स्लम वासियों के लिए निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को एकीकृत रूप से मुहैया करना है :

- उचित मूल्यों पर टेन्योर की सुरक्षा;
- बेहतर आवास;
- जल आपूर्ति;
- सफाई व्यवस्था;
- शिक्षा;
- स्वास्थ्य; और
- सामाजिक सुरक्षा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की मौजूदा सार्वभौमिक सेवाओं के माध्यम से की जायेगी। इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए यह ध्यान में रखना होगा कि शहरी गरीबों को उनके कार्यस्थल के नजदीक मकान मुहैया कराये जाते हैं। जेएनएनयूआरएम और अन्य संशाधनों के उपयोग से अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से परिसम्पत्ति सृजन और परिसंपत्ति प्रबंधन के बीच प्रभावी संबंध होने चाहिए।

2.3 जेएनएनयूआरएम का उद्देश्य यह है कि शहरी स्थानीय निकाय मिशन की अवधि के अंत तक निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करें :

- सभी शहरी सेवाओं और प्रशासन के कार्यों के लिये डिजाइन तथा अंगीकार किया आधुनिक और परदर्शी बजट पद्धति, लेखांकन पद्धति, वित्तीय प्रबंधन पद्धति;
- योजना तैयार करने और प्रशासन के लिये नगर व्याप्त कार्यढ़ांचा स्थापित किया जाएगा और उसे कार्यरूप दिया जाएगा;
- सभी शहरी गरीब लोगों को बुनियादी स्तर की शहरी सेवाएं उपलब्ध होंगी;
- शहरी प्रशासन और सेवा प्रदायी पद्धति के लिये वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर अभिकरणों की स्थापना प्रमुख राजस्व साधनों में सुधार करके की जाएगी;
- स्थानीय सेवा और प्रशासन का कार्यनिष्पादन इस तरीके से किया जाएगी कि वह पारदर्शी तो हो ही और साथ ही नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो;
- शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यों में ई–प्रशासन लागू किया जाएगा जिसके परिणामतः खर्च में तो कमी होगी ही साथ ही सेवा प्रदान करने वाली प्रक्रियाओं में समय की बचत होगी।

2.4 जेएनएनयूआरएम के सफल कार्यान्वयन के लिये प्रशासन सुधार महत्वपूर्ण सुधार हैं जिन्हें राज्यों को भारत सरकार की सहायता से जोड़ा गया है और ये समर्थकारी कार्यनीति पर आधारित हैं। जेएनएनयूआरएम में राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर बहुत से सुधारों की व्यवस्था है ताकि चिरस्थायी तरीके से गरीबों को बुनियादी सेवाएं देने के उद्देश्य से शहरी प्रशासन से संबंधित मसलों को हल किया जा सके। प्रशासन को गरीबों के अनुकूल बनाने के क्षेत्रों में बीएसयूपी और आईएचएसडीपी में निम्नलिखित तीन प्रमुख सुधारों की व्यवस्था है :

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिये सभी आवास निर्माण परियोजनाओं (चाहे वे सरकारी अथवा गैर–सरकारी अभिकरणों द्वारा संचालित हों) में कम से कम 20 से 25 प्रतिशत विकसित भूमि को अभिनिर्धारित करना;
- सात सूत्री चार्टर का कार्यान्वयन करना अर्थात सहमत समय–सीमा के अनुसार मिशन की अवधि के भीतर किफायती दामों पर मालिकाना हक सहित शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराना, बेहतर आवास की व्यवस्था करना, जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था करना

तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के लिये सरकार की मौजूदा सार्वभौमिक सेवाओं की आपूर्ति का सुनिश्चय करना; और

- शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सेवाओं हेतु स्थानीय निकायों के बजट में आंतरिक विनिर्धारण करना जिसका अंतिम लक्ष्य शहरी गरीबों को बुनियादी सेवा देने हेतु कोश की स्थापना करना है।

इन सुधारों को अन्य सुधारों के साथ–साथ कार्यान्वित करना होगा जिनका उद्देश्य नगरों तथा कस्बों के चिरस्थायी विकास और प्रभावी प्रबंध व्यवस्था एवं शहरी गरीबी उन्मूलन के लिये उत्तम शहरी प्रशासन के लिये समर्थकारी कार्यढ़ांचा तैयार करना है।

2.5 उपर्युक्त सुधारों का सार इस प्रकार है (i) शहरी गरीबों को इतना समर्थ बनाया जाना चाहिये कि उन्हें भूमि प्राप्त हो सके और गगनचुम्बी भूमि मूल्यों के होते हुए वे भूमि बाजार से बाहर न हो जाएं; (ii) सहमत सीमाओं और सर्वसंभाव नगरों के विकास हेतु सुविचारित योजनाबद्ध प्रयासों के आधार पर शहरी गरीबों को सभी बुनियादी सेवाएं मुहैया कराई जानी हैं; और (iii) नगर/राज्य स्तर पर एक समर्पित बजट/कोश बनाया जाना चाहिए ताकि शहरी गरीबी उपशमन के लिये और गरीबों को भूमि तथा आवास मुहैया कराने सहित स्लम उन्नयन के लिये संसाधनों का निरंतर प्रवाह बना रहे।

2.6 जेएनएनयूआरएम से स्लम वासियों तथा शहरी समाज के वंचित वर्गों सहित शहरी गरीबों को एक नई आशा मिली है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अगले पांच वर्षों के लिये देश में नये विकास के रूप में समग्र प्रगति को अपनाया गया है। इस योजना में इस बात को माना गया है कि आर्थिक प्रगति में रोजगार, आय सृजन तथा गरीबों की दशा सुधारने पर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। समग्र प्रगति के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से जेएनएनयूआरएम के अधीन राज्य तथा शहरी निकाय स्तरों पर सुधारों के कार्यान्वयन हेतु बल दिया गया है ताकि सर्वसम्भाव नगरों की योजना बनाई जा सके और उसे प्राप्त किया जा सके। आवास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय ने स्लम मुक्त तथा गरीबी मुक्त नगरों/कस्बों हेतु राष्ट्रीय अभियान पहले ही शुरू कर दिया है जिसके तहत प्रत्येक नगर/कस्बा न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं और गरीबों के लिये उचित किफायती आवास की व्यवस्था हेतु समयबद्ध योजना तैयार करके कार्यान्वित करेगा।

2.7 जेएनएनयूआरएम तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जैसे शहरी गरीबी उपशमन के लिये अन्य कार्यक्रमों को भारत सरकार के अन्य पहल प्रयासों के साथ कार्यान्वित किया जाना है। स्लमों तथा निम्न आय बस्तियों में बुनियादी सेवाओं के साथ–साथ स्वास्थ्य देखरेख, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा इसी प्रकार के अन्य मसलों को भी हल किया जाना होगा। ताकि, शहरी गरीबी को निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन से हल किया जा सके यथा स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री नियोजन सृजन कार्यक्रम आदि। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख कर कहा है कि वे नगरों और कस्बों में रह रहे गरीबों के जीवनयापन की दशाओं को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दें। माननीया आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्री ने भी देश के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे स्लम मुक्त शहरों तथा कस्बों का विजन विकसित करें, प्रत्येक शहर/कस्बे में रह रहे शहरी गरीबों के लिये सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यान्वित करें। नगरपालिका स्तर पर कार्य योजना तैयार करने के लिये पर्याप्त आकड़ों की आवश्यकता होगी।

3. सर्वेक्षण उद्देश्य

3.1 आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय अपने सम्बद्ध कार्यालय यथा राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के साथ मिलकर शहरी गरीबी उपशमन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों को तैयार करने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनकी मॉनीटरिंग करने तथा उनके मूल्यांकन करने का कार्य कर रहा है। जेएनएनयूआरएम के परिणामतः इस बात का पता चला है कि जेएनएनयूआरएम जैसे बड़े कार्यक्रम को शुरू करने के लिये डाटा बेस बहुत ही अपर्याप्त है। जेएनएनयूआरएम के अधीन नगर विकास योजनाओं (सीडीपी) को तैयार करने के लिये कहा गया है और नगर विकास योजनाओं (सीडीपी) के सार्थक विकास के लिये समर्थ डाटा बेस की आवश्यकता है। पर्याप्त तथा विश्वसनीय डाटा के अभाव में जेएनएनयूआरएम शुरू करने के बाद तैयार की जा चुकी नगरों/कस्बों की नगर विकास योजनाओं (सीडीपी) से शहरी गरीबों, विशेष रूप से स्लम वासियों की समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ है। शहरी विकास मंत्रालय एवं आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय अब दूसरे दौर के नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं।

3.2 जेएनएनयूआरएम तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु देश के विभिन्न भागों में शहरी गरीबी की स्थिति तथा स्लमों से संबंधित बड़ी मात्रा में आंकडे एकत्र करने की आवश्यकता है। मिशन की व्यापकता और भारत में शहरी गरीबी के बहु आयामों द्वारा उठी समस्याओं के परिमाण को देखते हुए स्कीमों के प्रभावी डिजाइन तैयार करने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनकी मॉनीटरिंग करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिये एकत्र डाटा को सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है। शहरी गरीबी, स्लमों तथा आवास से संबंधित केन्द्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों को मजबूत करने हेतु भी डाटा का प्रस्ताव किया गया है। ताकि, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मामलों को बेहतर समझा जा सके।

3.3 जेएनएनयूआरएम के अधीन परियोजनाओं तथा सुधारों के कार्यान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को डाटा बेस, एमआईएस, कार्य अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के रूप में सहायता मिले। विशेष रूप से गरीबों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने, स्लम विकास तथा किफायती आवास के क्षेत्रों में शहरी गरीबी पर ध्यान देते हुए योजना बनाने, नीति निर्धारण करने, परियोजना तैयार करने, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग तथा समीक्षा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा ज्ञान आधार के विकास की आवश्यकता है। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के अनुरूप है जिसके तहत समग्र प्रगति को देश के मुख्य विकास के रूप में अपनाया गया है।

3.4 यह आवश्यक है कि सांख्यिकीय, प्रशासनिक तथा अन्य कारणों से शहरी गरीबी, स्लमों, आजीविका उपार्जन, गरीबों को नागरिक सुविधाएं देने तथा उनके लिये आवास की व्यवस्था करने से संबंधित डाटा एकत्र करके एक ही स्रोत पर संकलित किया जाए। राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय अपने–अपने सर्वेक्षण करते रहे हैं और डाटा बेस रखते रहे हैं। तथापि, ऐसे डाटा बेस में देशभर में एक स्थूल एकरूपता की कमी है।

3.5 इस पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया है कि स्लमों के विकास, शहरी गरीबी उपशमन तथा आजीविका उपार्जन प्रोफाइलों में जिनमें सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण भी शामिल हैं, के लिये राज्य सरकारों एवं शहरी स्थानीय निकायों को जेएनएनयूआरएम तथा एचआर और मूल्यांकन हेतु शहरी सांख्यिकी योजनागत स्कीमों, जो राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, के 1 प्रतिशत निधियों के अधीन आंशिक सहायता दी जाए।

4. शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

4.1 शहरी स्थानीय निकायों की विशिष्ट भूमिका तथा उत्तरदायित्व में निम्नलिखित भी शामिल होंगे, लेकिन उनकी भूमिका तथा उत्तरदायित्व केवल इन्हीं तक शामिल नहीं होंगे :

क. कार्य योजना तैयार करना, सर्वेक्षण का डिजाइन और विकास।

ख. कार्य योजना में सौंपे गये कार्यों तथा उनकी समय–सीमा का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए।

ग. राज्य सरकार/एसएलएनए के सक्षम प्राधिकारी से वैधता और अनुमोदन प्राप्त करना।

घ. अनुमोदित फार्मेट का इस्तेमाल करके बनाये गये डाटा सैटों का गुणवत्ता आश्वासन और जांच, जिसमें सैम्पलिंग का साईज, मानदंड, व्याप्ति तथा सैम्पलों प्रातिनिधिक स्वरूप, निष्कर्षों की तार्किकता, अपवाद आदि शामिल होंगे।

ड. स्लम, गरीबी तथा आजीविका उपार्जन के संबंध में डाटा बेस रखना।

च. प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नगर द्वारा तैयार नगर विकास योजनाओं में सहायक डाटा बेस के साथ शहरी गरीबों की जरूरतें पर्याप्त रूप से परिलक्षित हो रही हैं।

छ. यह सुनिश्चित करने के लिये प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना कि जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी) के अधीन नगरों द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में सहायक डाटा बेस के साथ शहरी गरीबों की जरूरतों पर्याप्त रूप से परिलक्षित हो रही हैं।

ज. इस प्रयोजन के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों से प्राप्त निधियों का प्रबंधन।

झ. मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना।

4.2 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षणों के लिये स्लम, गरीबी तथा आजीविका उपार्जन विवरणों हेतु प्रपत्र संलग्न हैं।

5. वित्त पोषण पद्धति तथा पात्रता मानदंड

5.1 राष्ट्रीय सर्वेक्षण के प्रथम दौर में शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के लिये चुनिंदा राज्य

सरकारों/नगर निगमों, नगरपालिकाओं तथा जिला प्रशासनों को राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों सहित, स्लमों के विकास, शहरी गरीबी तथा आजीविका उपार्जन संबंधी विवरण तैयार करने हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान देगा। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को एकमुश्त अनुदान निम्नलिखित आधार पर दिये जाएंगे :

- 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिये 10 लाख रू. प्रति नगर,
- 1 से 4 मिलियन के बीच जनसंख्या वाले नगरों के लिये 7 लाख रू. प्रति नगर,
- 5 लाख तथा 1 मिलियन के बीच जनसंख्या वाले नगरों के लिये 5 लाख रू. प्रति नगर,
- 1 लाख से 5 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगरों के लिये 3 लाख रू. प्रति नगर,
- 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों के लिये 2 लाख रू. प्रति नगर।

5.2 राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही मानव संसाधन तथा मूल्यांकन हेतु शहरी सांख्यिकीय स्कीम (उषा) के अधीन पूरी लागत वहन की जाएगी। अतिरिक्त राशि, यदि कोई आवश्यक हो तो उसे राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाना होगा, जो भारत सरकार से अब तक किसी सहायता के बिना ही अपनी निधियों से समय–समय पर सर्वेक्षण करते आए हैं। उषा के अधीन वर्तमान सहायता का उद्देश्य राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन देना है।

6. नगरों का चयन

जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी) के अधीन शामिल सभी 63 चुनिंदा नगरों के लिये एवं राज्य सरकारों द्वारा आईएचएसडी के अधीन चुने गये अन्य नगरों/कस्बों के संबंध में स्लम विकास हेतु शहरी गरीबी तथा आजीविका उपार्जन विवरण के लिये राज्य सरकारों चरणबद्ध तरीके से सहायता दी जाएगी। जेएनएनयूआरएम से संबंधित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी/नगरपालिका विभाग द्वारा चयन किया जाएगा। उन राज्यों के मामले में जिनमें नोडल एजेंसी नगर निगम प्रशासन/स्थानीय शासन से बाहर स्थित है, उस विभाग के साथ समन्वय अत्यंत आवश्यक है, जो शहरी स्थानीय निकायों का कार्य देख रहा हो।

7. अनुमत्य घटक

7.1 शहरी स्थानीय निकायों/जिला प्रशासनों (उन राज्यों के मामले में जो शहरी स्थानीय निकायों से भिन्न एजेंन्सियों की सहायता से जेएनएनयूआरएम परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं) के लिये मंत्रालय से सहायता निम्नलिखित तक सीमित होगी :–

– स्लम प्रोफाइल का विकास
– शहरी गरीबी प्रोफाइल का विकास
– आजीविका उपार्जन प्रोफाइल का विकास
(सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों सहित)

7.2 उषा के अधीन राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन से निम्नलिखित मदें सहायता पाने की पात्र नहीं हैं :–

– कम्प्यूटर, फोटोकापियर, टेलीफोन इत्यादि जैसे उपकरणों पर पूंजीगत व्यय
– कार्यालय स्थान का निर्माण/जीर्णोद्धार/कार्यालय फर्नीचर
– वाहनों की खरीद
– नियमित वेतन

उपर्युक्त मदों तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों का वहन राज्य सरकार/संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा।

8. सामान्य अनुदेश

8.1 नगरपालिकाओं/शहरी स्थानीय निकायों के प्रभारी राज्य विभाग अथवा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) (बीएसयूपी/आईएचएसडीपी) के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नगरों तथा कस्बों में स्लम/गरीबी/आजीविका सर्वेक्षण का समन्वय करेगी। यदि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी शहरी स्थानीय निकायों से सम्बद्ध विभाग से भिन्न विभाग में स्थित है तो उस स्थिति में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को केन्द्रीय भूमिका सौंप कर एक समन्वय तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इस सर्वेक्षण के अधीन शामिल प्रत्येक नगर/कस्बा एक नोडल सैल (इस नोडल सैल के लिये शहरी समुदाय विकास विभागों से कार्मिक लिये जाएंगे) पदनामित करेगा। इस नोडल सैल का कार्य सर्वेक्षण करना होगा और इसमें पर्यावेक्षकों का एक दल होगा जो नगरपालिका आयुक्त/नगर/कस्बे के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में कार्य करेगा। शहरी स्थानीय

निकाय में परियोजना कार्यान्वयन एकक (पीआईयू)/यूपीए सैल के अधीन नियुक्त संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन करने/सर्वेक्षणों का प्रशासन करने एवं पर्यवेक्षक दल को तकनीकी सहायता देने का कार्य सौंपा जाएगा। केन्द्रीय स्तर पर निदेशक (एनबीओ) देशभर में तीन सर्वेक्षणों के आयोजन हेतु प्रमुख कार्यभारी अधिकारी होंगे। राज्य स्तर पर संबंधित नोडल एजेंसी/विभाग एक वरिष्ठ अधिकारी का चयन करेगा जिसका कार्य निदेशक (एनबीओ) के साथ समन्वय करना एवं राज्य में सर्वेक्षणों के आयोजन का मार्गदर्शन करना, सर्वेक्षण सूचना का संचालन करना और अपेक्षित ब्यौरे भारत सरकार को भेजने के बीच समन्वय करना होगा। नगरपालिका आयुक्त/नगर का मुख्य कार्यकारी नगर/कस्बे स्तर पर किये जाने वाले वास्तविक सर्वेक्षणों के लिये उत्तरदायी होगा।

8.2 सर्वेक्षण भागेदारी स्वरूप के होंगे जिनमें एनएचजी (पास–पडोस के ग्रुप), एनएचसी (पास–पडोस की समितियां) तथा प्रतिष्ठित एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) जैसे क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संस्थाएं शामिल होंगी।

8.3 प्रत्येक पर्यवेक्षक आबादी और सर्वेक्षण के लिये शामिल क्षेत्र के अनुसार 5 से 10 जांचकर्त्ताओं/सर्वेक्षकों के दल का मुखिया होगा। पर्यवेक्षक समय–सीमा के पालन हेतु उत्तरदायी होगा और वह समय–समय पर औचक निरीक्षण हेतु क्षेत्र में जाएगा। पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि वह जांचकर्त्ताओं द्वारा एकत्र सूचना की जांच करे तथा यदि आवश्यक हो तो उसे दुरूस्त करे। पर्यवेक्षण द्वारा वैट/अनुमोदित किये जाने पर नगरपालिका प्राधिकरण में पीआईयू/यूपीए सैल/नोडल सैल अनुसूची में दर्ज सूचना का संकलन करेगा।

व्याप्ति :

- स्लम/स्लमों वाले प्रत्येक शहरी ब्लॉक के लिये अनुसूची का प्रचार किया जाना है।
- पूरे नगर/कस्बे में पाये गये प्रत्येक स्लम (चाहे वह अधिसूचित या गैर–अधिसूचित क्यों न हो) के संबंध में सूचना एकत्र की जाएगी। राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा की गई पहचान के अनुसार स्लम को अधिसूचित अथवा गैर–अधिसूचित स्लम माना जाएगा और तदनुसार अनुसूची का प्रचार किया जाएगा।

अनुसूची की संरचना

सर्वेक्षण के दौरान जांच के निम्नलिखित अनुसूचियों का प्रचार किया जाएगा :

भाग क : नगर/कस्बे के संबंध में सामान्य सूचना

भाग ख : शहरी स्थानीय निकाय का स्लम प्रोफाइल

भाग ग : सर्वेक्षण संबंधी कार्यों का ब्यौरा

अनुबंध–। : विस्तृत स्लम सर्वेक्षण

अनुबंध–।। : विस्तृत परिवार सर्वेक्षण

अनुबंध–।।। : विस्तृत आजीविका उपार्जन सर्वेक्षण

भाग–क

अनुसूची के भाग–क में सर्वेक्षण के अधीन शामिल किये गये नगर/कस्बे के संबंध में सामान्य सूचना शामिल होगी। अनुसूची का भाग–क नगरपालिका प्राधिकरण में कार्यरत नोडल सैल द्वारा भरा जाएगा।

राज्य कोड : जनगणना 2001 में प्रत्येक राज्य को एक विशिष्ट राज्य कोड दिया गया है, इसी कोड का इस्तेमाल इस सर्वेक्षण में किया जाना है।

जिला कोड : जिला कोड वही होगा जिसका उपयोग जनगणना 2001 में उस जिले के लिये किया गया है जिसमें नगर स्थित है।

नगर/कस्बा कोड : नगर/कस्बा कोड वही होगा जिसका उपयोग जनगणना 2001 में किया गया है।

भाग–ख

अनुसूची के भाग–ख में नगर/कस्बे/शहरी स्थानीय निकाय में स्थित सभी स्लमों की सामान्य सूचना शामिल है। नगरपालिका क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिये शहरी स्थानीय निकाय में कार्यरत नोडल सैल द्वारा सूचना भरी जाएगी। प्रत्येक स्लम की अवस्थिति सहित नगर/कस्बे/शहरी स्थानीय निकाय का एक स्कैच नक्शा बनाया जाएगा जिसमें सर्वेक्षण के अधीन स्लम विशेष की अवस्थिति का उल्लेख होगा।

भाग–ग

अनुसूची के भाग–ग में सर्वेक्षण कार्यों का ब्यौरा शामिल होगा।

जांचकर्ता की टिप्पणी : जांचकर्ता द्वारा आंकडे एकत्र करने के दौरान पेश आयी समस्याओं के संबंध में टिप्पणियां इस ब्लॉक में रिकार्ड की जाएंगी। यदि जांचकर्ता यह महसूस करता है कि सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई कुछ सूचना संदेहजनक स्वरूप की है तो उसका उल्लेख टिप्पणी यदि कोई हो, सहित किया जाएगा। अन्य कोई टिप्पणी जिससे अनुसूची में की गई प्रविष्टियों का उचित मूल्यांकन करने में सहायता मिलती हो, यहां दर्ज की जाएंगी।

अन्य पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा टिप्पणी : परिवार के संबंध में इस अनुसूची में जांच के अधीन विशेषताओं के संबंध में किसी भी पहलू पर पर्यवेक्षक अधिकारी के मत इस ब्लॉक में रिकार्ड किये जाएंगे।

9. जांचकर्ताओं/सर्वेक्षकों के लिये अनुदेश

9.1 अनुबंध–। के प्रचार हेतु अनुदेश : स्लम सर्वेक्षण

स्लम कोड : सर्वेक्षण करने वाले शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रत्येक स्लम के लिये 3 अंकों का एक विशिष्ट कोड बनाया जाएगा।

नगर/कस्बा/शहरी स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर स्थित प्रत्येक स्लम, चाहे वह अधिसूचित अथवा गैर–अधिसूचित हो, के संबंध में सूचना अनुबंध–। के जरिये एकत्र की जाएगी। यह अनुसूची स्लम विशेष के संबंध में कुछ मुख्य–मुख्य सूचना रिकार्ड करने के लिये है।

यह सूचना एक अथवा एक से अधिक जानकार व्यक्तियों का साक्ष्य लेकर एकत्र की जाएगी। अधिकतर मदों के संबंध में सूचना कोड में रिकार्ड की जाएगी। यदि किसी मद विशेष के संबंध में एक से अधिक कोड लागू होता है तो जो कोड स्लम के अधिकांश भाग पर लागू होता है वह रिकार्ड किया जाएगा। निम्नलिखित मदों के संबंध में सूचना प्रत्येक मद के अधीन दिये गये कोड का उपयोग करके रिकार्ड की जाएगी– स्लम का नाम, क्षेत्रफल, अधिसूचित है, अधिसूचित नहीं है, अधिसूचना की तारीख, क्या नगर/कस्बे के बीच अथवा फ्रिंज क्षेत्र में स्थित है, स्लम की भौतिक अवस्थिति, क्या स्लम में विद्युत व्यवस्था है, रिहायशी ईकाई ढांचा (अधिकतर मकानों के लिये), स्लम

को जाने वाली मुख्य सड़क, लेन, निर्मित रास्ता, निकटतम पक्की सड़क से दूरी, आंतरिक सड़क, जल निकासी व्यवस्था की किस्म, क्या स्लम में भूमिगत सीवर व्यवस्था है, कूडा–करकट निपटान व्यवस्था, कब–कब कूड़ा–करकट एकत्र किया जाता है, प्राथमिक पूर्व विद्यालय की अवस्थिति, प्राथमिक विद्यालय की अवस्थिति, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की मौजूदगी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या, अनौपचारिक/व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की मौजूदगी, स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की दूरी, स्लम में सुविधाओं की उपलब्धता तथा स्व–सहायता ग्रुप/स्लम निवासी एसोसिएशन आदि। चूंकि सभी मदें स्वतः स्पष्ट हैं इसलिए प्रत्येक मद के लिये और अनुदेश देना आवश्यक नहीं है।

9.2 अनुबंध–।। के प्रचार हेतु अनुदेश : परिवार गरीबी सर्वेक्षण

परिवार को सूचीबद्ध करना : अनुबंध–। के प्रचार के बाद अगला कदम सभी परिवारों को सूचीबद्ध करना है (जिनमें वे परिवार भी शामिल होंगे जिनके बारे में यह पाया गया है कि वे अस्थायी रूप से ताला लगाकर चले गये हैं, इस बात का पता स्थानीय पूछताछ के जरिये लगाया जाएगा)।

व्याप्ति : सर्वेक्षण के अधीन स्लम विशेष क्षेत्र की सीमाओं के भीतर रह रहे हर परिवार के संबंध में सूचना अनुबंध–।। के जरिये एकत्र की जाएगी।

सूचना का स्रोत : सूचना परिवार के मुखिया/परिवार के एक अथवा एक से अधिक जानकार व्यक्तियों का साक्षात्कार लेकर एकत्र की जाएगी। अधिकतर मदों के संबंध में सूचना कोड में रिकार्ड की जाएगी। कोडों का उल्लेख अनुसूची में है, जहां कहीं वे लागू हैं।

परिवार का मुखिया : परिवार का मुखिया वह व्यक्ति है जिसे परिवार के मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त हो। आमतौर पर परिवार का मुखिया वह व्यक्ति होता है जो परिवार के कार्यों की प्रबंध व्यवस्था करता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह परिवार का प्रधान कमाऊ सदस्य हो।

9.3 अनुबंध–।।। के प्रचार हेतु अनुदेश : आजीविका उपार्जन सर्वेक्षण

व्याप्ति : सर्वेक्षण के अधीन परिवार के प्रत्येक सदस्य के संबंध में सूचना अनुबंध–।।। के जरिये एकत्र की जाएगी।

सूचना का स्रोत : सूचना परिवार के मुखिया/परिवार के एक अथवा एक से अधिक जानकार व्यक्तियों का साक्षात्कार लेकर एकत्र की जाएगी। अधिकतर मदों के संबंध में सूचना कोड में रिकार्ड की जाएगी। कोडों का उल्लेख अनुसूची में है, जहां कहीं वे लागू हैं।

10. सारिणी योजना

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन एकत्र आंकड़ों की प्रविष्टि, उनका संकलन करने के लिये एक उपयुक्त सारिणी तैयार करेगा। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन चुनिंदा राज्य सरकारों की सहभागिता से ई–टूल का विकास करेगा ताकि राज्य–वार एकरूपता बनाई रखी जा सके और राष्ट्रीय सूचना प्रणाली विकसित की जा सके। निदेशक (एनबीओ)/उप–निदेशक (डाटा तथा एमआईएस), एनबीओ इस सारिणी योजनाओं को तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने में राज्यों की सहायता करेंगे।

अनुबंध

भारत सरकार

आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन)

.....

नगरों तथा कस्बों में स्लम/सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण हेतु अनुसूचियां

भाग क : सामान्य सूचना– नगर/कस्बा

भाग ख : नगर/कस्बे का स्लम प्रोफाइल

भाग ग : सर्वेक्षण कार्य के ब्यौरे

अनुबंध–I : विस्तृत स्लम सर्वेक्षण

अनुबंध–II : विस्तृत परिवार सर्वेक्षण (सामान्य)

अनुबंध–III : विस्तृत आजीविका सर्वेक्षण

भारत सरकार के स्तर पर नोडल एजेंसी : राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

(ध्यानाकर्षण : श्री डी.एस. नेगी, निदेशक (एनबीओ) तथा विशेष कार्य अधिकारी (जेएनएनयूआरएम), कमरा सं. 210, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001, टेलीफोन नं. 011–23061692, फैक्स नं. 011–23061542, ई–मेल : कचेदमहप/लीववण्बवण्पद)

(सभी स्पष्टीकरणों के लिये और डाटा प्रस्तुत करने के लिये कृपया ऊपर उल्लिखित पते पर सम्पर्क करें)

भाग–क

I. सामान्य सूचना – नगर/कस्बा

1(क) राज्य कोड		1(क) राज्य का नाम	
2(क) जिला कोड		2(क) जिले का नाम	
3(क) नगर/कस्बा कोड		3(क) नगर/कस्बा का नाम	
4(क) नगर/कस्बा आबादी (2001 की जनगणना)		4(क) नगर/कस्बा परिवारों की संख्या (2001 की जनगणना)	

भाग–ख

II. नगर/कस्बा स्लम प्रोफाइल

5. स्लम 2009 के संबंध में बुनियादी सूचना का सारांश

अधिसूचित स्लम							
क्र.सं.	स्लम का नाम	भूमि का स्वामित्व जहां स्लम स्थित है'	वर्ग किमी. में क्षेत्रफल	स्लम आबादी	स्लम परिवारों की संख्या	बीपीएल आबादी	बीपीएल परिवारों की संख्या

कुल							

गैर–अधिसूचित स्लम							
क्र.सं.	स्लम का नाम	भूमि का स्वामित्व जहां स्लम स्थित है'	वर्ग किमी. में क्षेत्रफल	स्लम आबादी	स्लम परिवारों की संख्या	बीपीएल आबादी	बीपीएल परिवारों की संख्या
कुल							
सकल योग							

' सरकारी : स्थानीय निकाय–01, राज्य सरकार–02, केन्द्र सरकार–03;
निजी–04, अन्य–05

6. स्लम की अवस्थिति दर्शाते हुए नगर/कस्बे का स्पेटियल/स्कैच नक्शा

स्लम की अवस्थिति दर्शाते हुए नगर/कस्बे का नक्शा

(अधिसूचित स्लमों को हरे रंग में, गैर–अधिसूचित स्लमों को लाल रंग में दर्शाया गया है)

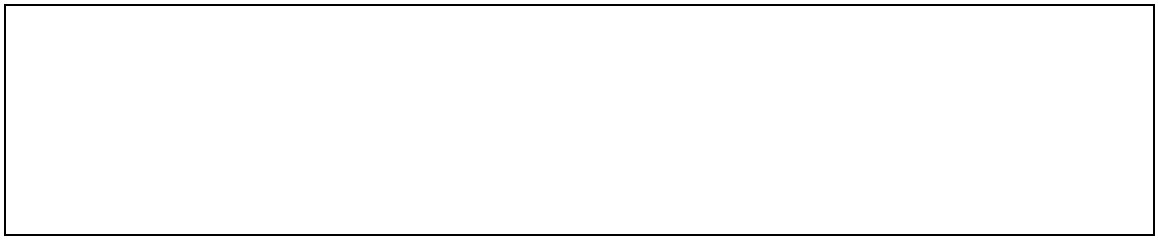

भाग–ग

।।।. सर्वेक्षण कार्यों का ब्यौरा

	जांचकर्ता / सर्वेक्षक				पर्यवेक्षक			
7. नाम								
8. निम्नलिखित की तारीख		तारीख	मास	वर्ष		तारीख	मास	वर्ष
(क) सर्वेक्षण								
(ख) प्रश्नावली की प्राप्ति								
(ग) जांच								
(घ) शहरी स्थानीय निकाय में कार्यरत नोडल सैल द्वारा प्राप्ति								
9. हस्ताक्षर								

10. जांचकर्ता / सर्वेक्षक की टिप्पणी :

11. पर्यवेक्षक की टिप्पणी :

अनुबंध–।

स्लम सर्वेक्षण/प्रोफाइल

(जिस स्लम का सर्वेक्षण किया जा रहा है उसका नक्शा संलग्न करें)

I. स्लम के संबंध में बुनियादी सूचना

1. स्लम का नाम	
1 क. स्लम का कोड (शहरी स्थानीय निकाय द्वारा 3 अंकों का विशेष कोड बनाया जाएगा)	
2. अवस्थिति – वार्ड संख्या/नाम	
3. कितने वर्षों से स्लम है	
4. स्लम का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
5. क्या नगर/कस्बे में अथवा फ्रिंज क्षेत्र में स्थित है कोर नगर/कस्बा–01, फ्रिंज क्षेत्र–02	
6. स्लम के आसपास के क्षेत्र का प्रकार रिहायशी–01, औद्योगिक–02, वाणिज्यिक–03, संस्थागत–04, अन्य–49	

7. स्लम की भौतिक अवस्थिति

ख्नाले के साथ–साथ (वर्षा जल की निकासी हेतु बड़ा नाला)–01, अन्य नालों के साथ–साथ–02, रेलवे लाइन के साथ–साथ–03, मुख्य ट्रांसपोर्ट एलाइंमेंट के साथ–साथ–04, नदी/जलाशय के

किनारे के साथ–साथ–05, नदी/जलाशय के थाले में–06, अन्य (खतरनाक अथवा आपत्तिजनक)–07, अन्य (खतरा/आपत्ति रहित)–08,

8. क्या स्लम अधिसूचित अथवा घोषित है? हां–01, नहीं–02

9. यदि मद 8 में हां (01) है, तो अधिसूचना के वर्ष का उल्लेख करें

II. भूमि की स्थिति

10. भूमि का स्वामित्व जहां स्लम स्थित है

सरकारी : स्थानीय निकाय–01, राज्य सरकार–02, रेलवे–03 रक्षा–04, हवाई अड्डा–05, रेलवे, रक्षा अथवा हवाई अड्डे से भिन्न भारत सरकार–06; निजी–07, अन्य–49, अज्ञात–99

11. कृपया भूमि के स्वामित्व का उल्लेख करें

(भूमि किसकी है)

III. जनसांख्यिकी प्रोफाइल

12. जनसंख्या और स्वास्थ्य

	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अल्पसंख्यक (कुल आबादी में से)
स्लम में कुल आबादी						
स्लम में बीपीएल आबादी						
स्लम में परिवारों की संख्या						
बीपीएल परिवारों की संख्या						
उन परिवारों की संख्या जिनकी मुखिया महिला है						
65 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों की संख्या						
बाल श्रमिकों की संख्या						
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या						
मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या						
एचआईवी–एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या						
क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या						
अस्थमा सहित श्वास रोगों वाले व्यक्तियों की संख्या						
अन्य पुराने रोगों से पीड़ित						

व्यक्तियों की संख्या						

13. साक्षरता – शिक्षा

	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अल्पसंख्यक (कुल आबादी में से)
कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या						
पुरूष साक्षरों की संख्या						
महिला साक्षरों की संख्या						
बीपीएल साक्षरों की संख्या						
बीपीएल पुरूष साक्षरों की संख्या						
बीपीएल महिला साक्षरों की संख्या						
स्कूल बीच में छोड़ देने वाले बालकों की संख्या						
स्कूल बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं की संख्या						

प्ट. रिहायशी स्थिति

14. रिहायशी एकक

	पक्का (सं.)	कच्चा–पक्का (सं.)	कच्चा (सं.)	कुल (सं.)
रिहायशी एकक				
बिजली सहित				

15. भूमि टेन्योर स्थिति

	पट्टे के साथ	कब्जा प्रमाण–पत्र / कब्जा अधिकार	अतिक्रमण की हुई निजी भूमि	अतिक्रमण की हुई सार्वजनिक भूमि	किराये पर	अन्य	कुल
रिहायशी एककों की संख्या							

ट. परिवारों की आर्थिक स्थिति

16. आर्थिक स्थिति (परिवारों की मासिक आय)

	मासिक आय					
	500 रू. से कम	500 रू. –1000 रू.	1000 रू. –1500 रू.	1500 रू. –2000 रू.	2000 रू. –3000 रू.	3000 रू. से अधिक
परिवारों की संख्या						

ट१. परिवारों की व्यावसायिक स्थिति

17. व्यावसायिक स्थिति

	स्व–नियोजित	वेतनभोगी	नियमित मजदूरी	नैमेतिक मजदूर	अन्य
परिवारों की संख्या					

ट११. भौतिक अवसंरचना सुलभ कराना

18क. पेयजल का स्रोत (परिवारों की संख्या जिन्हें पेयजल की सुविधा प्राप्त है)

स्रोत	व्यक्तिगत नल	सार्वजनिक नल	ट्यूबवेल/बोरवेल/हैंडपम्प	खुले कुएं	जलाशय/तालाब	नदी/नहर/झील/स्प्रिंग	पानी की टंकी	अन्य
इस्तेमाल करने वाले परिवारों की संख्या								
मौजूदा स्थिति	व्यक्तिगत नलों की संख्या	सार्वजनिक नलों की संख्या	ट्यूबवेलों/बोरवेलों/हैंडपम्पों की संख्या	जल आपूर्ति की अवधि (प्रतिदिन 1 घंटे से कम–01, प्रतिदिन 1–2 घंटे–02, प्रतिदिन 2 घण्टों से अधिक–03, सप्ताह में एक बार–04, सप्ताह में दो बार–05, नियमित नहीं–06, कोई आपूर्ति नहीं–99)				

18ख. पूरे नगर की जल आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ा होना

क्या स्लम पूरे नगर की जल आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है :
पूरी तरह से जुड़ा हुआ–01, आंशिक रूप से जुड़ा हुआ–02, जुड़ा हुआ नहीं–03

19क. जलमल निकासी सुविधा

	वर्षा जल निकासी नाले	भूमिगत नाले/सीवर लाइनें	डाइजेस्टर	सीवर अथवा डाइजेस्टर से जुड़ा हुआ न

				होना
परिवारों की संख्या जिनको यह सुलभ है				

19ख. पूरे नगर की वर्षा जल निकासी व्यवस्था से जुड़ा हुआ होना

क्या स्लम पूरे नगर की वर्षा जल निकासी से जुड़ा हुआ है?

पूरी तरह से जुड़ा हुआ–01, आंशिक रूप से जुड़ा हुआ–02, जुड़ा हुआ नहीं–03

19ग. पूरे नगर की सीवर व्यवस्था से जुड़ा होना

क्या स्लम पूरे नगर की सीवर व्यवस्था से जुड़ा हुआ है?

पूरी तरह से जुड़ा हुआ–01, आंशिक रूप से जुड़ा हुआ–02, जुड़ा हुआ नहीं–03

19घ. क्या स्लम में वर्षा के कारण बाढ़ का खतरा है?

नहीं–01, 15 दिन तक–02, 15–30 दिन–03, 4 महीने से अधिक–04

20. सेनीटेशन

परिवारों द्वारा प्रयुक्त शौचालय सुविधा										
	सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय			**साझे शौचालय**			**अपने शौचालय**			**खुले में शौच**
	सेप्टिक टैंक/फ्लश	सर्विस शौचालय	पिट	सेप्टिक टैंक/फ्लश	सर्विस शौचालय	पिट	सेप्टिक टैंक/फ्लश	सर्विस शौचालय	पिट	

परिवारों की संख्या										

21. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

21क. कूड़ा–करकट का कब–कब निपटान किया जाता है

प्रतिदिन–01, दो दिनों में एक बार–02,, सप्ताह में एक बार–03, 15 दिनों में एक बार–04, नहीं उठाया जाता–99

21ख. कूड़ा–करकट निपटान की व्यवस्था

नगरपालिका स्टाफ–01, नगरपालिका ठेकेदार–02, स्वयं निवासियों द्वारा–03, अन्य–04, कोई व्यवस्था नहीं–99

21ग. खुले नालियों की कब–कब सफाई की जाती है

प्रतिदिन–01, दो दिनों में एक बार–02, सप्ताह में एक बार–03, 15 दिनों में एक बार–04, कोई सफाई नहीं की जाती है–99

22. स्लम की संपर्क सड़क/लेन/निर्मित पथ

मोटोरेबल पक्का–01, मोटरेबल कच्चा–02, गैर–मोटरेबल पक्का–03, गैर–मोटरेबल कच्चा–04

23. निकटतम मोटरेबल सड़क से दूरी

0.5 किमी. से कम–01, 0.5 से 1.0 किमी.–02, 1.0 किमी. से 2.0 किमी. –03, 2.0 किमी. से 5.0 किमी.–04, 5.0 किमी. से अधिक–05

24. आंतरिक सड़क

मोटरेबल पक्का–01, मोटरेबल कच्चा–02, गैर–मोटरेबल पक्का–03, गैर–मोटरेबल कच्चा–04

25. क्या स्लम में स्ट्रीट लाईट सुविधा उपलब्ध है

(हां–01, नहीं–02)

टप्प्. शिक्षा सुविधाएं

मद संख्या 26 से 30 तक में एकत्र सूचना के लिये निम्नलिखित कोड़ों का इस्तेमाल करें

स्लम क्षेत्र के भीतर–01, स्लम क्षेत्र के बाहर : 0.5 किमी. से कम दूरी–02, 0.5 किमी. से 1.0 किमी. –03, 1.0 किमी. से 2.0 किमी.–04, 2.0 किमी. से 5.0 किमी.–05, 5.0 किमी. से अधिक–06

26. पूर्व प्राथमिक स्कूल :

क. आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी

यदि 01, तो संख्या

ख. नगरपालिका पूर्व स्कूल

यदि 01, तो संख्या

ग. निजी पूर्व–स्कूल

यदि 01, तो संख्या

27. प्राथमिक स्कूल :

क. नगरपालिका

यदि 01, तो संख्या

ख. राज्य सरकार

यदि 01, तो संख्या

ग. निजी

यदि 01, तो संख्या

28. उच्च स्कूल :

क. नगरपालिका

यदि 01, तो संख्या

ख. राज्य सरकार

यदि 01, तो दूरी (कोड)

ग. निजी

यदि 01, तो संख्या

29. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र :

यदि 01, तो संख्या

30. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

यदि 01, तो संख्या

घ. स्वास्थ्य सुविधाएं

31. स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता :

स्लम क्षेत्र के भीतर–01,

स्लम के बाहर : 0.5 किमी. से कम–02, 0.5 से 1.0 किमी.–03, 1.0 किमी. से 2.0 किमी.–04, 2.0 किमी. से 2.0 किमी.–05, 5.0 किमी. से अधिक की दूरी पर–06

शहरी स्वास्थ्य केन्द्र

प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र

सरकारी अस्पताल

प्रसूति केन्द्र

निजी क्लिनिक

रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशर्न (आरएमपी)

आयुर्वेदिक डॉक्टर/वैद्य

ग. सामाजिक विकास/कल्याण

32. स्लम के भीतर सुविधाओं की उपलब्धता :

संख्या का उल्लेख करें : 0, 01, 02, 03 .....

सामुदायिक भवन

जीविका उपार्जन/उत्पादन केन्द्र

व्यावसायिक प्रशिक्षण/प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र

बेसहारा बच्चों हेतु पुनर्वास केन्द्र

रैन बसेरा

वृद्धावस्था आश्रम

33क. वृद्धावस्था पेंशन (पेंशनधारियों की संख्या)

33ख. विधवा पेंशन (पेंशनधारियों की संख्या)

33ग. विकलांग पेंशन (पेंशनधारियों की संख्या)

33घ. सामान्य बीमा (बीमित व्यक्तियों की संख्या)

33ड. स्वास्थ्य बीमा (बीमित व्यक्तियों की संख्या)

34. स्लम में स्वयं सहायता समूह/बीडब्ल्यूसीयूए समूह

संख्या का उल्लेख करें : 0, 01, 02, 03 .....

35. स्लम में थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटियां

संख्या का उल्लेख करें : 0, 01, 02, 03 .....

36क. स्लम वासियों की एसोसिएशन (हां–01, नहीं–02)

36ख. युवा एसोसिएशन

संख्या का उल्लेख करें : 0, 01, 02, 03 .....

36ग. महिला एसोसिएशन/महिला समितियां

संख्या का उल्लेख करें : 0, 01, 02, 03 .....

ग. अतिरिक्त अवसंरचना आवश्यकता

(नगरपालिका इंजीनियर/कार्यकारी अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

मद	मौजूदा	अतिरिक्त आवश्यकता	अनुमानित लागत
जल आपूर्ति			
पाइपलाइन (आरएमटी)			
व्यक्तिगत नल (संख्या)			
बोरवेल (संख्या)			
ट्रंक लाइन (आरएमटी) से जुड़ा हुआ होना			
जलमल निकासी			
वर्षा जल निकासी (आरएमटी)			
मुख्य नालों (आरएमटी) से जुड़ा हुआ होना			
सीवर लाइनें (आरएमटी)			
ट्रंक सीवर (आरएमटी) से जुड़ा हुआ होना			
सड़कें			
आंतरिक सड़के–सीसी (आरएमटी)			
आंतरिक सड़के–बीटी (आरएमटी)			
आंतरिक सड़के–अन्य (आरएमटी)			
सम्पर्क सड़के–सीसी (आरएमटी)			
सम्पर्क सड़के–अन्य (आरएमटी)			
पथ प्रकाश			
पथ प्रकाश खम्बें (संख्या)			
पथ प्रकाश (संख्या)			

सफाई व्यवस्था			
व्यक्तिगत शौचालय (संख्या)			
सामुदायिक शौचालय (संख्या)			
सार्वजनिक शौचालयों में शीटें (संख्या)			
ढलाव (संख्या)			
सामुदायिक सुविधाएं			
सामुदायिक हाल (कमरों की संख्या)			
आजीविकास उपार्जन/उत्पादन केन्द्र (कमरों की संख्या)			
आंगनवाड़ियां/स्कूल–पूर्व (कमरों की संख्या)			
प्राथमिक स्कूल (कक्षा–कक्षों की संख्या)			
स्वास्थ्य केन्द्र (कमरों की संख्या)			
अन्य (उल्लेख करें)			

संलग्नक–।।

परिवार गरीबी सर्वेक्षण/प्रोफाइल

प. सामान्य सूचना

1. स्लम का नाम

2. स्थान – वार्ड सं./नाम

3. मकान/फ्लैट/गेट नं.

पप. परिवार स्तरीय सामान्य सूचना

4. परिवार के मुखिया का नाम

5. पिता का नाम

6. लिंग (पुरूष : 01, महिला : 02)

7. जाति

(सामान्य–01, अ.जा.–02, अ.ज.जा.–03, अ.पि.व.–04)

8. धर्म

(हिन्दू–01, मुस्लिम–02, क्रिश्चियन–03, सिख–04, जैन–05, बौद्ध–06, पारसी–07, अन्य–49)

9. अल्पसंख्यक स्थिति (राज्य/संघ शासित प्रदेश में)

गैर–अल्पसंख्यक–01, अल्पसंख्यक–02)

10. यदि परिवार की मुख्या महिला है तो महिला मुखिया की हैसियत

- विवाहित–01
- विधवा–02
- त्यक्ता / अकेली–03
- तलाकशुदा–04
- अविवाहित मां–05
- अन्य–49

11. परिवार के सदस्यों की संख्या

पुरूष

महिला

कुल

12. निरक्षर प्रौढ़ सदस्यों की संख्या (14 वर्ष से अधिक की आयु वाले)

पुरूष

महिला

कुल

13. 6–14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या

बालक

बालिकाएं

कुल

14. विकलांग व्यक्तियों की संख्या

शारीरिक

मानसिक

कुल

15. यदि, मुख्य रूप से आय अर्जकसदस्य महिला है, तो क्या वह

- विवाहित–01
- विधवा–02
- त्याक्ता/अकेली–03
- तलाकशुदा–04
- अविवाहित मां–05
- अन्य–49

16. क्या आपका परिवार गरीबी रेखा से नीचे है?

- हां–01
- नहीं–02
- पता नहीं–99

17. यदि मद सं. 16 में 01 है, तो क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है?

प्प्. परिवार स्तरीय विस्तृत सूचना

18. भूमि टेन्योर स्थिति

(पट्टा–01, कब्जा प्रमाण–पत्र/कब्जा अधिकार–02, अतिक्रमित निजी भूमि–03, अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि–04, किराये पर–05, अन्य–49)

19. मकान का प्रकार/संरचना

(पक्का–01, कच्चा–पक्का–02, कच्चा–03)

20. छत का प्रकार

(घासफूस/छप्पर–01, तिरपाल–02, लकड़ी–03, एसबेसटॉस–04, खपरेल–05, सीमेंट/स्लैब–06, अन्य–49)

21. फर्श का प्रकार

(मिट्टी–01, ईंट–02, पत्थर–03, सीमेंट–04, टायल–05, अन्य–49)

22. मकान में प्रकाश

(विद्युत कनेक्शन–01, केरोसिन–02, जलाने की लकड़ी–03, अन्य–49)

23. खाना पकाने के लिये ईंधन

(गैस–01, विद्युत–02, केरोसिन–03, कच्चा कोयला–04, जलाने की लकड़ी–05, अन्य–49)

24क. पेयजल का स्रोत

(परिसर के भीतर नल–01, ट्यूबवेल/हैंडपम्प–02, खुले कुंए–03)
(परिसर के बाहर–सार्वजनिक नल–04, ट्यूबवेल/बोर वेल/हैंडपम्प–05, खुले कुंए–06, टैंक/तालाब–07, नदी/नहर/झील/झरना–08, पानी की टंकी–09, अन्य–49)

24ख. यदि पाइप द्वारा जलापूर्ति की जाती है तो जलापूर्ति की अवधि

(जलापूर्ति की अवधि : प्रतिदिन 1 घंटे से कम–01, प्रतिदिन 1–2

घंटे–02, प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक–03, सप्ताह में एक दिन–04, सप्ताह में दो बार–05, नियमित नहीं–06, कोई आपूर्ति नहीं–99)

25. यदि परिसर के बाहर, तब पेयजल स्रोत से दूरी

(0.5 किमी. से कम–01, 0.5 से 1.0 किमी.–02, 1.0 किमी से 2.0 किमी. –03, 2.0 किमी. से 5.0 किमी.–04, 5.0 किमी. से अधिक–05)

26. शौचालय सुविधा की उपलब्धता

(अपना सेप्टिक टैंक/फ्लश शौचालय–01, अपनी ड्राई लैट्रिन–02, साझा सेप्टिक टैंक/फ्लश लैट्रिन–03, साझी ड्राई लैट्रिन–04, सामुदायिक सेप्टिक टैंक/फ्लश लैट्रिन–05, सामुदायिक ड्राई लैट्रिन–06, खुला में शौच–07)

27. स्नान घर सुविधा

(परिसर के भीतर–01, परिसर के बाहर–02, सामुदायिक स्नान–03, कोई स्नान घर नहीं–04)

28. मकान के सामने सड़क

(मोटोरेबल पक्का–01, मोटोरेबल कच्चा–02, गैर–मोटोरेबल पक्का–03, गैर–मोटोरेबल कच्चा–04)

29. उपलब्ध पूर्व–स्कूल का प्रकार

(नगरपालिका–01, सरकारी–02, निजी–03)

30. उपलब्ध प्राथमिक स्कूल का प्रकार

(नगरपालिका–01, सरकारी–02, निजी–03)

31. उपलब्ध उच्चतर स्कूल का प्रकार

(नगरपालिका–01, सरकारी–02, निजी–03))

32. उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा का प्रकार

(प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–01, सरकारी अस्पताल–02, प्रसूति केन्द्र–03, निजी क्लिनिक–04, आरएमपी–05, आयुर्वेदिक डॉक्टर/वैद्य–06)

33. परिवार के किसी भी सदस्य को प्राप्त कल्याण लाभ

(वृद्धावस्था पेंशन–01, विधवा पेंशन–02, विकलांग पेंशन–03, स्वास्थ्य बीमा–04, सामान्य बीमा–05, अन्य–49)

34. उपभोक्ता वस्तुएं (हां–01, नहीं–02

- बिजली का पंखा
- रेफ्रिजरेटर
- कूलर
- आवासीय टेलीफोन
- मोबाइल फोन
- बी/डब्ल्यू टेलीविजन
- रंगीन टेलीविजन
- सिलाई मशीन
- फर्नीचर
- साईकिल
- रिक्शा
- ठेला

- बैल गाड़ी
- दुपहिया वाहन
- तिपहिया वाहन
- टैक्सी
- कार

35. पशु (हां–01, नहीं–02)

- भैंस
- गाय
- भेड़/बकरी
- सूअर
- मुर्गी/मुर्गा
- गधा

प्ट. परिवार के उत्प्रवास का ब्यौरा, यदि लागू हो

36. इस कस्बे/शहर में कितने वर्षों से रह रहे हैं

- 0 से 1 वर्ष–01,
- 1 से 3 वर्ष–02,
- 3 से 5 वर्ष–03,

- 5 वर्षों से अधिक–04

37. कहां से आया है :

(ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र : 01, शहरी क्षेत्र से शहरी क्षेत्र : 02)

38. उत्प्रवास का प्रकार (मौसमी–01, स्थायी–02)

39. उत्प्रवास के कारण

- बेरोजगारी–01
- कम मजदूरी–02
- ऋण–03
- सूखा–04
- संघर्ष–05
- शिक्षा–06
- विवाह–07
- अन्य–49

ट. परिवार की आय–व्यय का ब्यौरा

40. आय अर्जित करने वाले प्रौढ़ सदस्यों की संख्या

पुरूष

महिला

कुल

41. आय अर्जित करने वाले नाबालिग सदस्यों की संख्या

पुरूष

महिला

कुल

42. परिवार की औसत मासिक आय (रू. में)

43. परिवार का औसत मासिक खर्च (रू. में)

44. सर्वेक्षण की तारीख को देय ऋण (रू. में)

45. परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अगूंठे का निशान

आजीविका उपार्जन सर्वेक्षण/प्रोफाइल

५ परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्यों का ब्यौरा

1. आय अर्जित करने वाले सदस्य :

1क : सामान्य ब्यौरा

क्र. सं.	नाम	परिवार के मुखिया से संबंध	आयु	महिला–पुरूष (कोड)	जाति (कोड)	धर्म (कोड)
1	2	3	4	5	6	7

महिला–पुरूष (कोड) : पुरूष : 01, महिला : 02

जाति (कोड) : सामान्य–01, अ.जा.–02, अ.ज.जा.–03, अ.पि.व.–04

धर्म (कोड) : हिन्दू–01, मुस्लिम–02, क्रिश्चियन–03, सिख–04, जैन–05, बौद्ध–06, पारसी–07, अन्य–49

1ख : शिक्षा एवं प्रशिक्षण

शैक्षिक योग्यता (कोड)	हासिल कौशल प्रशिक्षण (कोड)	संस्था का प्रकार जिससे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया (कोड)
8	9	10

शैक्षिक योग्यता (कोड) : कोई शिक्षा नहीं–01, प्राथमिक स्कूल–02, मिडिल स्कूल–03, दसवीं–04, प्रमाण–पत्र–05, डिप्लोमा–06, स्नातक–07, स्नातकोत्तर–08, तकनीकी (इंजीनियरिंग)–07, कोई अन्य–49

हासिल कौशल प्रशिक्षण (कोड) : रोजगार पूर्व प्रशिक्षण–01, सेवाकालीन प्रशिक्षण–02, कौशल उन्नयन–03, शिक्षुता–04, सादा कौशल/जीवन कौशल कार्यक्रम–05, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण–06, पुश्तैनी–07, कोई अन्य–49, कोई कौशल प्रशिक्षण नहीं–99

संस्था का प्रकार जिससे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया (कोड) : आईटीआई–01, पॉलीटेक्निक–02, व्यावसायिक स्कूल–03, तकनीकी स्कूल/संस्थान–04, कोई अन्य–49

1ग : रोजगार एवं आय

रोजगार की स्थिति (कोड)	कार्य का स्थान (कोड)	कार्य का समय (कोड)	मासिक आय (कोड)
11	12	13	14

रोजगार की स्थिति (कोड) : स्व–रोजगार (01), वेतनभोगी (02), नियमित मजदूरी (03), नैमेतिक मजदूर (04), अन्य (05)

कार्य का स्थान (कोड) : स्लम क्षेत्र के भीतर–01, स्लम क्षेत्र के बाहर : 0.5 किमी. की दूरी के भीतर–02, 0.5 से 1.0 किमी.–03, 1.0 किमी. से 2.0 किमी.–04, 2.0 किमी. से 5.0 किमी.–05, 5.0 किमी. से अधिक–06

कार्य का समय (कोड) : पूरे दिन–01, आधे दिन–02, अशंकालिक–03, एक वर्ष में तीन माह–04, एक वर्ष में 6 माह–05, पूरे वर्ष–06

मासिक आय (कोड) : 500 रू. से कम–01, 500 रू. से 1000 रू.–02, 1000 रू. से 1500 रू. –03, 1500 रू. से 2000 रू.–04, 2000 रू. से 3000 रू.–05, 3000 रू. से अधिक–06

2. आय/आजीविका उपार्जन का स्रोत (कोड) :

आय अर्जित करने वाले पुरूष :	प्राथमिक व्यवसाय	
	गौण व्यवसाय	
आय अर्जित करने वाली महिला :	प्राथमिक व्यवसाय	
	गौण व्यवसाय	

अकुशल श्रमिक : कृषि/बागवानी–01, फेरीवाला/गली में विक्रय करने वाला–02, घरेलू नौकर–03, सफाई कर्मी–04, रिगपिकर–05, चौकीदार–06, निर्माण कर्मी–07, औद्योगिक कर्मी–08, ठेका कर्मी–09, नैमेतिक मजदूर–10

कुशल श्रमिक : इलेक्ट्रिशियन–11, इलैक्ट्रानिक उपकरणों की मरम्मत करने वाला–12, नलसाज–13, दर्जी–14, बुनकर–15, आर्टीसिएन/क्राफ्ट्समैन/हैंडीक्राफट और कॉटेज आधारित उत्पादन कार्य–16, ब्युटीशियन, हेयर ड्रेसर एवं संबंधित कार्य–17, ड्राइविंग–18, ऑटो मरम्मत/मोटर मेकेनिक कार्य–19, मेकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित कार्य–20, केमिकल इंजीनियरिंग संबंधित कार्य–21, जूते बनाना/चमड़ा– संबंधित कार्य–22, फोटोग्राफी तथा संबंधित कार्य–23, बाल देखभाल, पोषण, स्कूल पूर्व तथा क्रैच से संबंधित कार्य–24, स्वास्थ्य एवं चिकित्साकल्प सेवाओं से संबंधित कार्य–25, कार्यालय से संबंधित कार्य–26, मुद्रण से संबंधित कार्य–27, होटल तथा रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य–28, पर्यटन से संबंधित कार्यकलाप–29, सुरक्षा से संबधित कार्य–30, कम्प्यूटर से संबंधित कार्य–31, सृजनात्मक कला/कलाकार–32, लॉन्ड्री से संबंधित कार्य–33, खिलौने बनाना–34, मोमबत्ती बनाना–35, नकली जेवरात–36, जरदोजी/बुनाई–37, खाना पकाना–38, बेकरी–39, राजमिस्त्री–40, बढ़ई–41, पेंटर–42, खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण–43

अन्य व्यवसाय : छोटामोटा व्यापारी–44, रिक्शा चालक–45, साइकिल–रिक्शा ड्राइवर–46, ठेला चालक–47, ऑटो रिक्शा ड्राइवर–48, खुदरा विक्रय–49, सूअर/मुर्गी/गाय/भैंस पालन–50, अन्य–99

3. परिवार के बेरोजगार सदस्यों की बेरोजगारी का मुख्य कारण (कोड)

निरक्षर–01, व्यवसायिक कौशल की कमी–02, रोजगार के अवसर की कमी–03, विकलांगता–04, कम मजदूरी–05, निवेश के लिये पूंजी की कमी–06, पहले रोजगार की समाप्ति–07, एकक का बंद होना–08, उद्यम में कार्य की कमी (स्व–रोजगार वाले व्यक्ति के लिये)–09, क्षेत्र में कार्य की कमी

(नैमेतिक मजदूर के लिये)–10, बिना वेतन के कामबंदी–11, कर्कश नियोक्ता–12, स्वास्थ्य को खतरा–13, अन्य–49

4. प्रशिक्षण/कौशल वृद्धि के लिये वरीयताप्राप्त क्षेत्र (कोड)

आय अर्जित करने वाले पुरूष :	प्राथमिक व्यवसाय	
	गौण व्यवसाय	
आय अर्जित करने वाली महिला :	प्राथमिक व्यवसाय	
	गौण व्यवसाय	

मेकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड्स–01, इलेक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग ट्रेड्स–02, कम्प्यूटर ट्रेड्स–03, सिविल इंजीनियरिंग और भवन निर्माण से संबंधित कार्य–04, केमिकल इंजीनियरिंग ट्रेड्स–05, चमड़े से संबंधित कार्य–06, वस्त्र से संबंधित कार्य–07, कैटरिंग, पोषण, होटल और रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य–08, आर्टीसियन/क्राफ्ट्समैन/हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज आधारित उत्पादन कार्य–09, सृजनात्मक कला/कलाकार–10, कृषि एवं फसल उत्पादन से संबंधित कौशल और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कार्य–11, गैर–फसल आधारित कृषि और अन्य संबंधित कार्यकलाप–12, स्वास्थ्य और चिकित्साकल्प सेवाओं से संबंधित कार्य–13, कार्यालय और व्यवसाय से संबंधित कार्य–14, ड्राईविंग एवं मोटर मेकेनिक कार्य–15, ब्युटिशियन, हेयरड्रेसिंग एवं संबंधित कार्य–16, टूर ऑपरेटर्स/पर्यटन प्रबंधक से संबंधित कार्य–17, फोटोग्राफी और संबंधित कार्य–18, बाल देखरेख, पोषण, स्कूल–पूर्व और क्रैच से संबंधित कार्य–19, पत्रकारिता, जनसंचार और मीडिया से संबंधित कार्य–20, मुद्रण प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य–21, टेलरिंग/बुनाई–22, उद्यमिता विकास कार्यक्रम–23, अन्य–49

5. प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव

6. **प्रशिक्षण के बाद/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के आयोजनों के बाद सुझाव**–स्वयं नियोजन, बाजार आधारित नियोजन आदि।

अनुबंध–प्ट

फार्म जीएफआर 19

लोप किया गया

फार्म जीएफआर 19–ए

(नियम 212(1) देखें)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र का फार्म

1. प्रमाणित किया जाता है कि हाशिए में दिये गये इस मंत्रालय/विभाग की पत्र संख्या के अधीन .... को ..... वर्ष के दौरान स्वीकृत ..... रू. के सहायता अनुदान तथा विगत वर्ष के खर्च न हुए शेष के परिणामतः ..... रू. में से ..... उस प्रयोजन के लिये .... रू. की राशि का उपयोग किया गया है जिसके लिये इस राशि को मंजूर किया गया था और यह कि वर्ष के अंत में शेष बची ..... रू. की राशि सरकार को वापस कर दी गई है (पत्र सं. ..... दिनांक .....)/जो अगले वर्ष के दौरान मिलने वाले सहायता अनुदान में समायोजित कर दी जाएगी।

क्र.सं0	पत्र सं0 और दिनांक	राशि
	कुल	

2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा इस बात से समाधान हो गया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूद किया गया था उन्हें विधिवत पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और यह कि मैंने यह सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित जांचे की हैं कि धनराशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिये उपयोग की जाए जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया है।

की गई जांच का प्रकार

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

दिनांक .....